कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थीः–श्री पुंजगीरी
किस्म मुकदमाः–प्रा.प.

बनाम

विपक्षीः–श्री गंगाराम
प्रकरण संख्याः–03 / 2024

	कार्यवाही विवरण	
05–02–2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 11 लगायत 17 आज दिनांक को बावजुद सूचना के अनुपस्थित जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से बार–बार आवाजे लगवाई गई उसके उपरान्त भी गैर हाजिर रहने से विपक्षी संख्या 11 लगायत 17 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 तक की ओर से अधिवक्ता श्री कपिल मेहता ने वकालतनाम पेश किया जो मूलवाद के साथ संलग्न है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकरण आवशक प्रकृती का होने से पत्रावली मे बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 तक ने कोई आपत्ति जाहीर नही की। पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र दौहराते हुए निवेदन किया कि मौझा देवगांव तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर के परिसीमन एवं नया राजस्व गांव भुरजी का गुडा बनाने के पश्चात् पुर्व राजस्व गाव देवगांव तहसील सलुम्बर के संवत 2039 से 2042 कि जमाबंदी के खाता संख्या 162 में प्रार्थीगण के खाते के निम्न भुमि दर्ज थी जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।दौराने सेटलमेन्ट (बंदोबस्त) राजस्व अधिकारी / कर्मचारी ने जान बुझकर या भुल से वादीगण कि भुमि के नये नम्बर मौके अनुसार सही नही बनाकर तथा मिलान क्षेत्रफल में जान बुझकर त्रुटी कर पुराने आराजी न 2180 रकबा 15 बिस्वा का नया न. 4029 रकबा 0.05 हैक्टर तथा पुराने आराजी न. 2181 रकबा 7 बिस्वा का मौके आराजी न. 4030 बनता है अनुसार आराजी न. 4029 व 4030 रकबा 0.16 हैक्टर बनाया है तथा मिलान क्षेत्रफल में 2181 के बदले 2171 लिख दिया है, जो कि गलत लिखा है क्योकि पुराने आराजी न. 2180 रकबा 15 बिस्वा था तथा आराजी न. 2081 रकबा 7 बिस्वा था जिनके पुराने नक्शे से बने नये नक्शे अनुसार वर्तमान आराजी न. 4029, 4030 तथा 5084 / 4030 बनता है। इसी प्रकार वर्तमान जमाबंदी में आराजी न. 4030 बिलानाम कर सरकार के खाते दर्ज कर दिया है। तथा आराजी न 5080 / 4030 रामीग पिता गोवना डांगी के नाम कर दिया है जिसे दुरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण आज भी मौके पर काबिज है इसलिए यह घौषणा एवं इन्दाज दुरस्ती का वाद पेश है। कि विपक्षीगण प्रार्थीगण के आराजी न. 4029, 4030 एवं 5084 / 4030 में दखलंदाजी कर प्रार्थीगण को भुमि से बेदखल करना चाहते है। इसलिए आये दिन विपक्षीगण प्रार्थीगण कि बाड को काट देते हैं तथा फसल खराब करते है वादीगण के शान्तिपुर्वक कब्जे काश्त में अवैध रूप से प्रवेश कर क्षति पहुंचाते रहते है जिसका रूपया में मुल्याकंण किया जाना सम्भव नहीं है प्रतिवादीगण खूंखार एवं झगडालु प्रर्वती के है जो अपने धनबल व भुजबल के आधार पर प्रार्थीगण को कभी भी अपनी भुमि से बेदखल कर सकते है। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध मुल वाद के निस्तारण तक निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि मौझा भुरजी का गुडा के आराजी न. 4029 रकबा 0.05 हैक्टर 4030 रकबा 0.16 हैक्टर व आराजी न. 5084 / 4030 रकबा 0.07 हैक्टर भुमि में प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार कि दखलंदाजी नहीं करे और ना ही प्रार्थीगण को उस भुमि से बेदखल करे और न ही उक्त कृत्य स्वंय करे न ही नौकरो परिजनों इत्यादी से करावे। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 लगायत	

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

10 तक ने कोई जवाब पेश नही किया न ही बहस मे कोई एतराज होना जाहिर किया।

पत्रावली मे बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर मौझा भुरजी का गुडा के आराजी न. 4029 रकबा 0.05 हैक्टर 4030 रकबा 0.16 हैक्टर व आराजी न. 5084/4030 रकबा 0.07 हैक्टर भुमि में प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार कि दखलंदाजी नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(सुरेन्द्र बी पाटीदार)
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
(उपखण्ड अधिकारी), सलूम्बर